रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5138] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 5138] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

का. आ. 6395(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त, अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 952 (ई) के तहत मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता , के न्यायालय, को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नियुक्त किया था जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार को छोड़कर) होगा।

और जबकि, श्री मनोजीत मंडल, मुख्यग न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायाधीश, कलकत्ता, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 3957 (ई) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, सेवानिवृत्त हो गए हैं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3957 (ई) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, उच्च न्याायालय कलकत्ता, के माननीय मुख्या न्यातयमूर्ति की सिफारिश पर एतदद्वारा श्री सिद्धार्थ कांजीलाल, मुख्य न्यायाधीश सिटी सत्र न्यायालय कलकत्ता को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (भाग-V)]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

S.O. 6395(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 952 (E) dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of the Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of West Bengal (except the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar) for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Manojit Mandal, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 3957 (E) dated the 10th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has retired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 3957 (E), dated the 10th August, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court, Calcutta, hereby appoints Shri Siddhartha Kanjilal, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-V)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.01 18:21:05 +05'30'